



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-25072022-237561
CG-MH-E-25072022-237561

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 2022/श्रावण 3, 1944

No. 373]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 2022/SHRAVANA 3, 1944

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 25 जुलाई, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/90.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में, अध्याय-X के बाद और अध्याय-XI से पहले, निम्नलिखित अध्याय-X-क जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“अध्याय-X-क**सोशल स्टॉक एक्सचेंज****परिभाषाएँ**

292क इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “पैसा जुटाने संबंधी प्रारूप (ड्राफ्ट) दस्तावेज” का अर्थ है – सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्टर ‘लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन’ द्वारा जीरो कूपन जीरो प्रिन्सिपल वाले लिखतों (इंस्ट्रुमेंट्स) के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के संबंध में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल किया गया ‘पैसा जुटाने संबंधी प्रारूप (ड्राफ्ट) दस्तावेज’;
- (ख) “पैसा जुटाने संबंधी अंतिम दस्तावेज” का अर्थ है – सोशल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दिए गए अभिमतों (ऑब्ज़र्वेशन) के अनुसार ‘पैसा जुटाने संबंधी प्रारूप (ड्राफ्ट) दस्तावेज’ में बदलाव आदि करने के बाद सोशल स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल किया गया ‘पैसा जुटाने संबंधी अंतिम दस्तावेज’;
- (ग) “लाभ कमाने के उद्देश्य से बने सामाजिक उद्यम” का अर्थ है – ऐसी कंपनी या ऐसा निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) जिसे लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा हो, और जो इन विनियमों के प्रयोजनार्थ एक सामाजिक उद्यम (सोशल एंटरप्राइस) हो और जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के तहत बनी कंपनी शामिल नहीं है;
- (घ) “पैसा जुटाने संबंधी दस्तावेज” का अर्थ है – ‘पैसा जुटाने संबंधी प्रारूप (ड्राफ्ट) दस्तावेज’ और ‘पैसा जुटाने संबंधी अंतिम दस्तावेज’;
- (ङ) “लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन” का अर्थ है – सामाजिक उद्यम, जो निम्नलिखित एंटिटियों में से कोई एक हो:
- (i) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के तहत रजिस्ट्रीकृत पूर्त न्यास (चैरिटेबल ट्रस्ट);
 - (ii) संबंधित राज्य के लोक न्यास (पब्लिक ट्रस्ट) संबंधी कानून के तहत रजिस्ट्रीकृत पूर्त न्यास (चैरिटेबल ट्रस्ट);
 - (iii) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत रजिस्ट्रीकृत पूर्त सोसाइटी (चैरिटेबल सोसाइटी);
 - (iv) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के तहत बनी कंपनी;
 - (v) बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित कोई अन्य एंटिटी;
- (च) “सामाजिक लेखापरीक्षक” (सोशल ऑडिटर) का अर्थ है – भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान या बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित ऐसी ही किसी दूसरी एजेंसी के अधीन आने वाले स्व-विनियामक संगठन से रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति, जिसने राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) का प्रमाणीकरण प्राप्त किया हो और जिसके पास मान्य प्रमाणपत्र हो;
- (छ) “सामाजिक लेखापरीक्षा करने वाली फर्म” (सोशल ऑडिट फर्म) का अर्थ है – कोई ऐसी एंटिटी, जिसने सामाजिक लेखापरीक्षकों (सोशल ऑडिटर्स) को नियुक्त किया हुआ हो और जिसका यह आकलन करने के संबंध में कम से कम तीन वर्षों का पिछला रिकॉर्ड हो कि समाज को कितना फायदा पहुँचाया गया;
- (ज) “सामाजिक उद्यम” (सोशल एंटरप्राइस) का अर्थ है – या तो ‘लाभ न कमाने के उद्देश्य से बना संगठन’ या फिर ‘लाभ कमाने के उद्देश्य से बना सामाजिक उद्यम’, जो इस अध्याय में दिए गए पात्रता संबंधी मानदंडों पर खरा उतरता हो;
- (झ) “सोशल स्टॉक एक्सचेंज” का अर्थ है – उस मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज का एक अलग खंड (सेगमेंट) जिसके पूरे देश में ट्रेडिंग टर्मिनल हों और जिसे इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ‘लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठनों’ को रजिस्टर करने और / या ‘लाभ न कमाने के उद्देश्य

से बने संगठनों' द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) को सूचीबद्ध (लिस्ट) करने की अनुमति दी गई हो।

इस अध्याय का लागू होना

292ख इस अध्याय के प्रावधान:

- (क) उस 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' पर लागू होंगे, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ केवल रजिस्टर होना चाहता हो;
- (ख) उस 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' पर लागू होंगे, जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज से रजिस्टर होना चाहता हो और उसके माध्यम से पैसा जुटाना चाहता हो;
- (ग) उस 'लाभ कमाने के उद्देश्य से बने सामाजिक उद्यम' पर लागू होंगे, जो यह चाहता हो कि उसे इस अध्याय के प्रावधानों के तहत सामाजिक उद्यम के रूप में जाना जाए।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज तक पहुँच

292ग सोशल स्टॉक एक्सचेंज तक केवल संस्थागत निवेशकों और गैर-संस्थागत निवेशकों की पहुँच होगी:

परंतु यह कि बोर्ड दूसरे वर्ग (वर्गों) के निवेशकों को भी, जैसा वह उचित समझे, सोशल स्टॉक एक्सचेंज तक पहुँच रखने की अनुमति दे सकेगा।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज का संचालक परिषद

292घ (1) प्रत्येक सोशल स्टॉक एक्सचेंज अपनी कार्यप्रणाली पर नज़र रखने के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज के संचालक परिषद का गठन करेगा।

(2) ऐसे संचालक परिषद का ढाँचा कैसा होगा और वह किन-किन विषयों पर विचार करेगा, यह बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाएगा।

सामाजिक उद्यम के रूप में जाने जाने के लिए पात्रता संबंधी शर्तें

292ङ (1) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, सामाजिक उद्यम के रूप में जाने जाने वाला 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बना संगठन' या 'लाभ कमाने के उद्देश्य से बना सामाजिक उद्यम' इस बात की पुष्टि करेगा कि कार्य समाज कल्याण के उद्देश्य से किए जा रहे हैं।

(2) इस बात की पुष्टि करने के लिए कि कार्य समाज कल्याण के उद्देश्य से किए जा रहे हैं, ऐसा सामाजिक उद्यम निम्नलिखित पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करेगा:-

(क) सामाजिक उद्यम निम्नलिखित में से कम से कम कोई एक गतिविधि करेगा:

- (i) भुखमरी, गरीबी, कुपोषण और असमानता मिटाने से जुड़ी गतिविधियाँ;
- (ii) स्वास्थ्य सेवाओं (मानसिक स्वास्थ्य सहित) और स्वच्छता को बढ़ावा देने से जुड़ी गतिविधियाँ; और पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने से जुड़ी गतिविधियाँ;
- (iii) शिक्षा को बढ़ावा देने, रोजगार दिलाने और जीवनयापन का स्तर सुधारने से जुड़ी गतिविधियाँ;
- (iv) लैंगिक समानता को बढ़ावा देने से जुड़ी गतिविधियाँ, महिला सशक्तिकरण और LGBTQIA+ समुदाय के लोगों के सशक्तिकरण से जुड़ी गतिविधियाँ;
- (v) पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियाँ, जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने (उसके असर को कम करने और उसके अनुसार ढलने) से जुड़ी गतिविधियाँ, वन संरक्षण और वन्य-जीव संरक्षण से जुड़ी गतिविधियाँ;
- (vi) राष्ट्रीय धरोहर, कला और संस्कृति के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियाँ;
- (vii) ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्य खेलों, पैरालिंपिक खेलों और ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाले प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियाँ;

- (viii) सामाजिक उद्यमों को प्रोत्साहन देने से जुड़ी गतिविधियाँ;
- (ix) ऐसे अन्य प्लेटफॉर्मों को सहायता प्रदान करने से जुड़ी गतिविधियाँ, जो लाभ न कमाने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों के लिए पैसा जुटाते हों और उन्हें सक्षम बनाते हों;
- (x) ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीब लोगों के लिए आजीविका से जुड़ी गतिविधियाँ, जिसमें छोटे तथा बहुत छोटे किसानों और कृषि क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की आय बढ़ाने से जुड़ी गतिविधियाँ शामिल हैं;
- (xi) झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों के विकास से जुड़ी गतिविधियाँ, किफायती आवास से जुड़ी गतिविधियाँ, और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल एवं पूरी तरह से सक्षम शहरों का निर्माण करने के लिए की जाने वाली अन्य गतिविधियाँ;
- (xii) आपदा प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियाँ, जिनमें राहत कार्य, पुनर्वास से जुड़े कार्य और पुनर्निर्माण के कार्य शामिल हैं;
- (xiii) वित्तीय समावेशन (फाइनेंशियल इन्क्लूशन) को बढ़ावा देने से जुड़ी गतिविधियाँ;
- (xiv) सुविधाओं से वंचित समुदाय के लोगों को जमीन और जगह आदि उपलब्ध कराने से जुड़ी गतिविधियाँ;
- (xv) इंटरनेट और मोबाइल जैसी सुविधाएँ सबके लिए उपलब्ध कराने से जुड़ी गतिविधियाँ, गलत जानकारी और डाटा के संरक्षण से संबंधित समस्याओं को सुलझाने से जुड़ी गतिविधियाँ;
- (xvi) प्रवासी व्यक्तियों और विस्थापित व्यक्तियों के कल्याण से जुड़ी गतिविधियाँ;
- (xvii) कोई अन्य क्षेत्र जो बोर्ड या सरकार द्वारा समय-समय पर बताया जाए।
- (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित जिन प्राथमिकता क्षेत्रों में विकास काफी कम हुआ हो, उन क्षेत्रों में सामाजिक उद्यम सुविधाओं से वंचित लोगों या इलाकों के लिए कार्य करेगा;
- (ग) सामाजिक उद्यम द्वारा की जाने वाली गतिविधियों में से कम से कम 67% गतिविधियाँ ऐसी होंगी, जिन्हें लक्षित आबादी के लिए की जाने वाली पात्र गतिविधियाँ माना गया है और जिसकी पुष्टि के लिए नीचे दिए गए किसी एक या एक से अधिक मानदंड पर खरा उतरना होगा:
- ठीक पहले के 3-वर्षों की आमदनी के अनुसार निकाली गई औसत आमदनी में से कम से कम 67% आमदनी लक्षित आबादी के लिए की गई पात्र गतिविधियों से आई हो;
 - ठीक पहले के 3-वर्षों के खर्च के अनुसार निकाले गए औसत खर्च में से कम से कम 67% खर्च लक्षित आबादी के लिए की गई पात्र गतिविधियों के लिए किया गया हो;
 - लक्षित आबादी के जिन लोगों के लिए पात्र गतिविधियाँ की जा रही हों, उनकी संख्या ठीक पहले के 3-वर्षों के अनुसार निकाले गए औसत ग्राहकों और / या कुल लाभार्थियों की संख्या की कम से कम 67% हो।
- (3) कारपोरेट फाउंडेशन, राजनैतिक या धार्मिक संगठन अथवा गतिविधियाँ, पेशेवर व्यक्तियों के संघ (प्रोफेशनल एसोसिएशन) या व्यापार संघ (ट्रेड एसोसिएशन), अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) कंपनियाँ और आवास कंपनियाँ (किफायती आवास कंपनियों को छोड़कर) सामाजिक उद्यम के रूप में जाने जाने के लिए पात्र नहीं होंगी।

‘लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन’ के लिए रजिस्टर होने से संबंधित अपेक्षाएँ

292च (1) ‘लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन’ को सोशल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए पैसा जुटाने से पहले अनिवार्य रूप से सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्टर होना होगा:

परंतु यह कि 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' के पास यह विकल्प होगा कि वह सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्टर तो हो जाए पर उसके जरिए पैसा न जुटाए।

- (2) 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्टर होने से संबंधित न्यूनतम अपेक्षाएँ बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।
- (3) सोशल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम अपेक्षाओं के अलावा 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' के लिए रजिस्टर होने से संबंधित पात्रता अपेक्षाएँ भी निर्धारित कर सकेगा।

सामाजिक उद्यमों द्वारा पैसा जुटाना

292छ सामाजिक उद्यम निम्नलिखित तरीकों से पैसा जुटा सकेगा:-

- (क) 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बना संगठन' सोशल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए निम्नलिखित तरीकों से पैसा जुटा सकेगा:
 - i. इस अध्याय के लागू प्रावधानों के अनुसार संस्थागत निवेशकों और / या गैर-संस्थागत निवेशकों को जीरो कूपन जीरो प्रिन्सिपल वाले लिखत (इंस्ट्रुमेंट्स) जारी करके;
 - ii. म्यूचुअल फंडों की स्कीमों (जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो) के जरिए दान लेकर;
 - iii. किन्हीं अन्य तरीकों से, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।
- (ख) 'लाभ कमाने के उद्देश्य से बना सामाजिक उद्यम' निम्नलिखित तरीकों से पैसा जुटा सकेगा:
 - i. मुख्य बोर्ड (मेन बोर्ड), एसएमई प्लेटफॉर्म या इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर इक्विटी शेयर जारी करके अथवा आनुकल्पिक निवेश निधि (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड) [जिसमें सोशल इम्पैक्ट फंड भी शामिल है] को इक्विटी शेयर जारी करके;
 - ii. ऋण प्रतिभूतियाँ (डेट सिक्यूरिटीज़) जारी करके;
 - iii. किन्हीं अन्य तरीकों से, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

स्पष्टीकरण.— 'लाभ कमाने के उद्देश्य से बने सामाजिक उद्यमों' द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) स्टॉक एक्सचेंज के लागू खंड (सेगमेंट) में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराई जाएंगी और उनमें ट्रेडिंग की जाएगी जहाँ उनके बारे में यह साफ उल्लेख होगा कि यह स्क्रिप 'लाभ कमाने के उद्देश्य से बने सामाजिक उद्यम' की है, और ऐसे 'लाभ कमाने के उद्देश्य से बने सामाजिक उद्यम', इस अध्याय में दिए गए पात्रता संबंधी मानदंडों के अलावा, मुख्य बोर्ड (मेन बोर्ड), एसएमई प्लेटफॉर्म या इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, जो भी लागू हो, के पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करेंगे।

पैसा जुटाने के लिए पात्र न होना

292ज सामाजिक उद्यम, यथास्थिति, सोशल स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्टर होने या उसके जरिए पैसा जुटाने के लिए पात्र नहीं होंगे:

- (क) यदि सामाजिक उद्यम, उसके किसी संप्रवर्तक (प्रोमोटर), संप्रवर्तक समूह या निदेशक या विक्रय करने वाले शेयरधारक या न्यासी (ट्रस्टी) को बोर्ड द्वारा प्रतिभूति बाजार में पहुँच रखने से रोका गया हो;
- (ख) यदि सामाजिक उद्यम का कोई संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या निदेशक या न्यासी (ट्रस्टी) ऐसी किसी दूसरी अन्य कंपनी या सामाजिक उद्यम का संप्रवर्तक या निदेशक हो जिसे बोर्ड द्वारा प्रतिभूति बाजार में पहुँच रखने से रोका गया हो;
- (ग) यदि सामाजिक उद्यम अथवा उसका कोई संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या निदेशक या न्यासी (ट्रस्टी) इरादतन चूककर्ता (जानबूझकर चूक करने वाला) या उधार लेकर धोखाधड़ी करने वाला (कपटी उधारकर्ता) हो;
- (घ) यदि उसका कोई संप्रवर्तक या निदेशक या न्यासी भगोडा आर्थिक अपराधी हो;
- (ङ) यदि सामाजिक उद्यम अथवा उसके किसी संप्रवर्तक या निदेशक या न्यासी (ट्रस्टी) को केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के गृह मंत्रालय या किसी दूसरे मंत्रालय अथवा पूर्व आयुक्त (चैरिटेबल ट्रस्ट)

अथवा किसी अन्य कानूनी निकाय (स्टैट्यूटरी बॉडी) द्वारा कोई कार्य करने से या पैसा जुटाने से रोका गया हो।

स्पष्टीकरण.— खंड (क) और (ख) के तहत लगाए गए प्रतिबंध उनमें उल्लिखित उन व्यक्तियों या एंटीटियों पर लागू नहीं होंगे, जिन पर बोर्ड द्वारा पहले कभी रोक लगाई गई हो और रोक की अवधि सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्टर होने के लिए आवेदन दाखिल करने की तारीख को या सोशल स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज या बोर्ड के पास 'पैसा जुटाने संबंधी प्रारूप (ड्राफ्ट) दस्तावेज' या 'प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज' (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट), जो भी लागू हो, दाखिल किए जाने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार पूरी हो चुकी हो।

ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखत (इंस्ट्रुमेंट्स) जारी करना

292ब (1) ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखत केवल उस 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' द्वारा जारी किए जाएंगे जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्टर हो, और ऐसे लिखतों की एक निश्चित अवधि होगी।

(2) ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखत बिना किसी कूपन के जारी किए जाएंगे, और इनकी परिपक्वता (मैच्यूरिटी) की अवधि पूरी होने पर मूलधन की कोई रकम अदा नहीं की जाएगी।

ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखत जारी करने के लिए पात्रता

292ब (1) जो सामाजिक उद्यम सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्टर 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बना संगठन' हो, वह ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखत (इंस्ट्रुमेंट्स) जारी कर सकेगा और उन्हें ऐसे सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) करा सकेगा।

(2) 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बना संगठन' किसी ऐसी परियोजना (प्रोजेक्ट) या गतिविधि के लिए ही ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखत जारी कर सकेगा, जिसे 'पैसा जुटाने संबंधी दस्तावेज' में निर्धारित की गई अवधि के भीतर पूरा किया जाना हो:

परंतु यह कि वह परियोजना या गतिविधि इन विनियमों के विनियम 292ड के तहत दी गई पात्र गतिविधियों की सूची के अंतर्गत आती हो।

'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' द्वारा ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखत (इंस्ट्रुमेंट्स) का सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) लाए जाने की प्रक्रिया

292ट (1) 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बना संगठन' उस सोशल स्टॉक एक्सचेंज के पास 'पैसा जुटाने संबंधी प्रारूप (ड्राफ्ट) दस्तावेज' दाखिल करेगा जहाँ वह रजिस्टर हो और उसके साथ उस सोशल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्धारित की गई फीस भी अदा करेगा और उस सोशल स्टॉक एक्सचेंज में अपने ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखत सूचीबद्ध (लिस्ट) कराने हेतु सैद्धांतिक मंजूरी मांगते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज यह बताएगा कि 'पैसा जुटाने संबंधी दस्तावेज' में कौन-कौन से व्यौरे शामिल करने हैं:

परंतु यह और कि बोर्ड समय-समय पर यह बताएगा कि पैसा जुटाने संबंधी दस्तावेज में कम से कम कौन-कौन से प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) करने जरूरी हैं।

(2) 'पैसा जुटाने संबंधी प्रारूप (ड्राफ्ट) दस्तावेज' जनता की टिप्पणियों के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज और 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' के वेबसाइट पर कम से कम 21 दिनों तक डालकर रखा जाएगा।

(3) सोशल स्टॉक एक्सचेंज 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' को 'पैसा जुटाने संबंधी प्रारूप (ड्राफ्ट) दस्तावेज' के संबंध में, उसे दाखिल किए जाने के या उसके संबंध में स्पष्टीकरण (यदि सोशल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' से कोई स्पष्टीकरण मांगा गया हो) प्राप्त होने, जो भी बाद में हो, की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने अभिमत देगा।

- (4) 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बना संगठन' सोशल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा दिए गए अभिमतों के अनुसार 'पैसा जुटाने संबंधी प्रारूप (ड्राफ्ट) दस्तावेज' में बदलाव आदि करेगा और निर्गम (इश्यू) लाने से पहले सोशल स्टॉक एक्सचेंज के पास 'पैसा जुटाने संबंधी अंतिम दस्तावेज' प्रस्तुत करेगा।

'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' द्वारा ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखत (इंस्ट्रूमेंट्स) को निजी तौर पर जारी किए जाने (प्राइवेट इश्युएंस) की प्रक्रिया

292ठ (1) सोशल स्टॉक एक्सचेंज के यहाँ रजिस्टर 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बना संगठन' भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 [सेबी (ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स) रेग्युलेशन्स, 2012] के लागू प्रावधानों के तहत रजिस्टर सोशल इम्पैक्ट फंड (फंडों) को निजी तौर पर ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखत (इंस्ट्रूमेंट्स) जारी कर सकेगा।

- (2) इस अध्याय में ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखतों के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के संबंध में निर्धारित किए गए प्रावधान सोशल इम्पैक्ट फंड (फंडों) को निजी तौर पर जारी किए जाने वाले ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखतों के मामले में भी, *यथावश्यक परिवर्तनों सहित*, लागू होंगे।

'पैसा जुटाने संबंधी दस्तावेज' में दी जाने वाली जानकारी

292ड (1) 'पैसा जुटाने संबंधी प्रारूप (ड्राफ्ट) दस्तावेज' और 'पैसा जुटाने संबंधी अंतिम दस्तावेज' में वे सभी महत्वपूर्ण प्रकटीकरण किए जाएंगे, जो सही और पर्याप्त हों, ताकि आवेदक सोच-समझकर निर्णय ले सकें।

- (2) उप-विनियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, 'पैसा जुटाने संबंधी प्रारूप (ड्राफ्ट) दस्तावेज' और 'पैसा जुटाने संबंधी अंतिम दस्तावेज' में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाने वाले प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) किए जाएंगे:

परंतु यह कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज 'पैसा जुटाने संबंधी प्रारूप (ड्राफ्ट) दस्तावेज' और 'पैसा जुटाने संबंधी अंतिम दस्तावेज' के संबंध में कुछ और प्रकटीकरण करने के लिए भी कह सकेगा।

ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखत (इंस्ट्रूमेंट) जारी किए जाने से संबंधित अन्य शर्तें

292ढ (1) ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखत केवल डीमैट रूप में जारी किए जाएंगे।

- (2) निर्गम (इश्यू) का आकार कम से कम एक करोड़ रुपये का होगा।
- (3) कम से कम दो लाख रुपये के लिखतों हेतु आवेदन करना होगा।
- (4) ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखतों के जरिए जितना पैसा जुटाए जाने का प्रस्ताव हो उसके कम से कम 75% हिस्से में पैसा लगाना (का सब्सक्राइब होना) जरूरी होगा।
- (5) यदि कम पैसा लगता हो (सब्सक्रिप्शन कम होता है), तो 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' को 'पैसा जुटाने संबंधी दस्तावेज' में निम्नलिखित विवरण देने होंगे:

(क) यदि 75% से 100% के बीच पैसा लगा हो (सब्सक्रिप्शन हुआ हो), तो बाकी का पैसा कैसे जुटाया जाएगा, इसके विवरण;

(ख) यदि बाकी के पैसों का इंतजाम (सब्सक्रिप्शन) नहीं हो पाता है, तो समाज कल्याण के उद्देश्य (उद्देश्यों) को पूरा करने पर क्या प्रभाव पड़ सकेगा, इसके विवरण;

परंतु यह कि यदि निर्गम (इश्यू) के आकार के 75% से भी कम पैसा लगाया जाता है (सब्सक्रिप्शन होता है), तो पैसा लौटाना होगा।

- (6) सोशल स्टॉक एक्सचेंज 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' द्वारा ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखत जारी किए जाने के बाद आबंटन (अलॉटमेंट) के ब्यौरे रखेगा।
- (7) सोशल स्टॉक एक्सचेंज निर्गम (इश्यू) की प्रक्रिया के संबंध में कुछ और मानदंड निर्धारित करेगा, जिनमें निक्षेपागारों (डिपॉज़िटरी), बैंकों आदि के साथ किए जाने वाले करारों (एग्रीमेंट), अस्वा से संबंधित मामलों, सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) की अवधि, आबंटन (अलॉटमेंट) के तरीके और निर्गम की प्रक्रिया से जुड़े अन्य किसी मुद्दे से संबंधित मानदंड शामिल हैं।

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 का समझा गया पालन

292ण इन विनियमों के अनुसार, 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' (जो रजिस्टर हो) द्वारा लाए गए ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखतों (इंस्ट्रूमेंट्स) के सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) के बारे में यह समझा जाएगा कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19 का पालन कर लिया गया है।

ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखतों (इंस्ट्रूमेंट) की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) सोशल स्टॉक एक्सचेंज से समाप्त होना

292त 'लाभ न कमाने के उद्देश्य से बने संगठन' के ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिन्सिपल वाले लिखतों (इंस्ट्रूमेंट्स) की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) सोशल स्टॉक एक्सचेंज से निम्नलिखित स्थितियों में समाप्त हो जाएगी:

- (क) जिस उद्देश्य से पैसा जुटाया गया था वह पूरा हो गया हो और इस आशय का प्रमाणपत्र सोशल स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रस्तुत कर दिया गया हो; या
- (ख) जिस उद्देश्य से पैसा जुटाया गया था उस उद्देश्य को पूरा करने की अवधि (जिसका जिक्र पैसा जुटाने संबंधी दस्तावेज में किया गया हो) बीत गई हो।”

माधवी पुरी बुच, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./194/2022-23]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/31 द्वारा, 11 सितम्बर 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 तत्पश्चात् -
 - (क) 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी. एन.आर.ओ./जी.एन./2018/57, द्वारा
 - (ख) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/05, द्वारा
 - (ग) 5 अप्रैल, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/08, द्वारा
 - (घ) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/29, द्वारा
 - (ङ) 23 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/35, द्वारा
 - (च) 6 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/42, द्वारा
 - (छ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/47, द्वारा

- (ज) 1 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/01, द्वारा
- (झ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- (ञ) 8 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/011, द्वारा
- (ट) 16 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/17, द्वारा
- (ठ) 22 जून, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/18, द्वारा
- (ड) 1 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/21, द्वारा
- (ढ) 28 सितम्बर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/31, द्वारा
- (ण) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/03, द्वारा
- (त) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/18, द्वारा
- (थ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- (द) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/45, द्वारा
- (ध) 26 अक्तूबर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/52, द्वारा
- (न) 14 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/63, द्वारा
- (प) 27 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/82, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 25th July, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/90.—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, after Chapter X and before Chapter XI, the following Chapter X-A shall be inserted namely,—

“CHAPTER X-A**SOCIAL STOCK EXCHANGE****Definitions.**

292A In this Chapter, unless the context otherwise requires,—

- (a) “draft fund raising document” means the draft fund raising document filed with a Social Stock Exchange in relation to a public issue of Zero Coupon Zero Principal Instruments by a Not for Profit Organization registered with the Social Stock Exchange;
- (b) “final fund raising document” means the final fund raising document filed with the Social Stock Exchange pursuant to incorporation of observations issued in respect of the draft fund raising document by the Social Stock Exchange;
- (c) “For Profit Social Enterprise” means a company or a body corporate operating for profit, which is a Social Enterprise for the purposes of these regulations and does not include a company incorporated under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (d) “fund raising document” means the draft fund raising document and the final fund raising document;
- (e) “Not for Profit Organization” means a Social Enterprise which is any of the following entities:
 - (i) a charitable trust registered under the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882);
 - (ii) a charitable trust registered under the public trust statute of the relevant state;
 - (iii) a charitable society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);
 - (iv) a company incorporated under section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
 - (v) any other entity as may be specified by the Board;
- (f) “Social Auditor” means an individual registered with a self-regulatory organization under the Institute of Chartered Accountants of India or such other agency, as may be specified by the Board, who has qualified a certification program conducted by National Institute of Securities Market and holds a valid certificate;
- (g) “Social Audit Firm” means any entity which has employed Social Auditors and has a track record of minimum three years for conducting social impact assessment;
- (h) “Social Enterprise” means either a Not for Profit Organization or a For Profit Social Enterprise that meets the eligibility criteria specified in this Chapter;

- (i) “Social Stock Exchange” means a separate segment of a recognized stock exchange having nationwide trading terminals permitted to register Not for Profit Organizations and / or list the securities issued by Not for Profit Organizations in accordance with provisions of these regulations.

Applicability of the Chapter.

292B The provisions of this Chapter shall apply to:

- (a) a Not for Profit Organization seeking to only get registered with a Social Stock Exchange;
- (b) a Not for Profit Organization seeking to get registered and raise funds through a Social Stock Exchange;
- (c) a For Profit Social Enterprise seeking to be identified as a Social Enterprise under the provisions of this Chapter.

Access to Social Stock Exchange.

292C A Social Stock Exchange shall be accessible only to institutional investors and non-institutional investors:

Provided that the Board may permit other class(es) of investors, as it deems fit, for the purpose of accessing Social Stock Exchange.

Social Stock Exchange Governing Council.

292D (1) Every Social Stock Exchange shall constitute a Social Stock Exchange Governing Council to have an oversight on its functioning.

(2) The composition and terms of reference for such Governing Council shall be specified by the Board from time to time.

Eligibility conditions for being identified as a Social Enterprise.

292E (1) For the purposes of these regulations, a Not for Profit Organization or a For Profit Social Enterprise, to be identified as a Social Enterprise, shall establish primacy of its social intent.

(2) In order to establish the primacy of its social intent, such Social Enterprise shall meet the following eligibility criteria:-

- (a) the Social Enterprise shall be indulged in at least one of the following activities:
 - (i) eradicating hunger, poverty, malnutrition and inequality;
 - (ii) promoting health care including mental healthcare, sanitation and making available safe drinking water;
 - (iii) promoting education, employability and livelihoods;
 - (iv) promoting gender equality, empowerment of women and LGBTQIA+ communities;
 - (v) ensuring environmental sustainability, addressing climate change including mitigation and adaptation, forest and wildlife conservation;
 - (vi) protection of national heritage, art and culture;
 - (vii) training to promote rural sports, nationally recognised sports, Paralympic sports and Olympic sports;
 - (viii) supporting incubators of Social Enterprises;
 - (ix) supporting other platforms that strengthen the non-profit ecosystem in fundraising and capacity building;
 - (x) promoting livelihoods for rural and urban poor including enhancing income of small and marginal farmers and workers in the non-farm sector;
 - (xi) slum area development, affordable housing and other interventions to build sustainable and resilient cities;
 - (xii) disaster management, including relief, rehabilitation and reconstruction activities;
 - (xiii) promotion of financial inclusion;
 - (xiv) facilitating access to land and property assets for disadvantaged communities;

- (xv) bridging the digital divide in internet and mobile phone access, addressing issues of misinformation and data protection;
 - (xvi) promoting welfare of migrants and displaced persons;
 - (xvii) any other area as identified by the Board or Government of India from time to time
- (b) the Social Enterprise shall target underserved or less privileged population segments or regions recording lower performance in the development priorities of central or state governments;
- (c) the Social Enterprise shall have at least 67% of its activities, qualifying as eligible activities to the target population, to be established through one or more of the following:
- (i) at least 67% of the immediately preceding 3-year average of revenues comes from providing eligible activities to members of the target population;
 - (ii) at least 67% of the immediately preceding 3-year average of expenditure has been incurred for providing eligible activities to members of the target population;
 - (iii) members of the target population to whom the eligible activities have been provided constitute at least 67% of the immediately preceding 3-year average of the total customer base and/or total number of beneficiaries.

(3) Corporate foundations, political or religious organizations or activities, professional or trade associations, infrastructure and housing companies, except affordable housing, shall not be eligible to be identified as a Social Enterprise.

Requirements relating to registration for a Not for Profit Organization.

292F (1) A Not for Profit Organization shall mandatorily seek registration with a Social Stock Exchange before it raises funds through a Social Stock Exchange:

Provided that a Not for Profit Organization may choose to register on a Social Stock Exchange and not raise funds through it.

(2) The minimum requirements for registration of a Not for Profit Organization on a Social Stock Exchange shall be specified by the Board from time to time.

(3) The Social Stock Exchange may specify the eligibility requirements for registration of a Not for Profit Organization in addition to the minimum requirements specified by the Board.

Fund raising by Social Enterprises.

292G A Social Enterprise may raise funds through following means:-

- (a) a Not for Profit Organization may raise funds on a Social Stock Exchange through:
 - (i) issuance of Zero Coupon Zero Principal Instruments to institutional investors and/or non-institutional investors in accordance with the applicable provisions of this Chapter;
 - (ii) donations through Mutual Fund schemes as specified by the Board;
 - (iii) any other means as specified by the Board from time to time.
- (b) A For Profit Social Enterprise may raise funds through:
 - (i) issuance of equity shares on the main board, SME platform or innovators growth platform or equity shares issued to an Alternative Investment Fund including a Social Impact Fund;
 - (ii) issuance of debt securities;
 - (iii) any other means as specified by the Board from time to time

Explanation.—Securities issued by For Profit Social Enterprises shall be listed and traded under the applicable segment of the stock exchange with an identifier stating that the scrip is that of a For Profit Social Enterprise and such For Profit Social Enterprises shall meet the eligibility criteria for the main board, SME Platform or innovators growth platform, as applicable, in addition to the criteria provided in this Chapter.

Ineligibility for raising of funds.

292H A Social Enterprise shall not be eligible to register or raise funds through a Social Stock Exchange or Stock Exchange, as the case may be:

- (a) if the Social Enterprise, any of its promoters, promoter group or directors or selling shareholders or trustees are debarred from accessing the securities market by the Board;
- (b) if any of the promoters or directors or trustees of the Social Enterprise is a promoter or director of any other company or Social Enterprise which has been debarred from accessing the securities market by the Board;
- (c) if the Social Enterprise or any of its promoters or directors or trustees is a wilful defaulter or a fraudulent borrower;
- (d) if any of its promoters or directors or trustees is a fugitive economic offender;
- (e) if the Social Enterprise or any of its promoters or directors or trustees has been debarred from carrying out its activities or raising funds by the Ministry of Home Affairs or any other ministry of the Central Government or State Government or Charitable Commissioner or any other statutory body.

Explanation.—The restrictions under clauses (a) and (b) above shall not apply to the persons or entities mentioned therein, who were debarred in the past by the Board and the period of debarment is already over as on the date of filing of application for registration with the Social Stock Exchange or filing of draft fund raising document or draft offer document, as may be applicable, with the Social Stock Exchange or the Stock Exchange or the Board.

Issuance of Zero Coupon Zero Principal Instruments

- 292I (1) Zero Coupon Zero Principal Instruments shall be issued only by a Not for Profit Organization registered on a Social Stock Exchange and shall have a specific tenure.
- (2) Zero Coupon Zero Principal Instruments shall be issued without any coupon and no principal amount shall be payable on its maturity.

Eligibility for issuance of Zero Coupon Zero Principal Instruments.

- 292J (1) A Social Enterprise which is a Not for Profit Organization registered with a Social Stock Exchange may make an issue of Zero Coupon Zero Principal Instruments and list them on such Social Stock Exchange.
- (2) The Not for Profit Organization may issue Zero Coupon Zero Principal Instruments only for a specific project or activity to be completed within a duration specified in the fund raising document:
- Provided that the specific project or activity falls under the list of eligible activities specified under regulation 292E of these regulations

Procedure for public issuance of Zero Coupon Zero Principal Instruments by a Not for Profit Organization

- 292K (1) A Not for Profit Organization shall file the draft fund raising document with the Social Stock Exchange where it is registered along with the fees as specified by the Social Stock Exchange and an application seeking in-principle approval for listing of its Zero Coupon Zero Principal Instruments on the Social Stock Exchange:
- Provided that Social Stock Exchange shall specify the details to be incorporated in the fund raising document:
- Provided further that the Board shall specify the minimum disclosure requirements in respect of the fund raising document from time to time.
- (2) The draft fund raising document shall be made available on the website of the Social Stock Exchange and the Not for Profit Organization for a period of at least 21 days for public comments.
- (3) The Social Stock Exchange shall provide its observation on the draft fund raising document to the Not for Profit Organization, within 30 days from the filing of the draft fund raising document or receipt of clarification, if any, sought by the Social Stock Exchange from Not for Profit Organization, whichever is later.

(4) The Not for Profit Organization shall incorporate the observations of the Social Stock Exchange in draft fund raising document and file the final fund raising document with the Social Stock Exchange prior to opening the issue.

Procedure for private issuance of Zero Coupon Zero Principal Instruments by a Not for Profit Organization

292L (1) The Not for Profit Organization registered on a Social Stock Exchange, may also make private issuance of Zero Coupon Zero Principal Instruments to Social Impact Fund(s) registered under the applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations 2012.

(2) The provisions related to public issuance of Zero Coupon Zero Principal Instruments specified in this Chapter shall *mutatis mutandis* apply to private issuance of Zero Coupon Zero Principal Instruments to Social Impact Fund(s).

Contents of the fund raising document.

292M (1) The draft fund raising document and the final fund raising document shall contain all material disclosures which are true and adequate to enable the applicants to take an informed decision.

(2) Without prejudice to the generality of sub-regulation (1), the draft fund raising document and the final fund raising document shall contain disclosures as may be specified by the Board from time to time:

Provided that the Social Stock Exchange may specify additional disclosures in respect of the draft fund raising document and the final fund raising document.

Other conditions relating to issuance of Zero Coupon Zero Principal Instruments

292N (1) Zero Coupon Zero Principal Instruments shall be issued in dematerialized form only.

(2) The minimum issue size shall be rupees one crore.

(3) The minimum application size shall be rupees two lakhs.

(4) The minimum subscription required to be achieved shall be 75% of the funds proposed to be raised through issuance of Zero Coupon Zero Principal Instruments.

(5) In case of any under subscription, the Not for Profit Organization shall, in the fund raising document, provide details on the following:

(a) manner of raising balance capital in case of such under subscription between 75% and 100%;

(b) possible impact on achieving the social objective(s) in case such under subscription is not arranged:

Provided that the funds shall be refunded in case the subscription is less than 75% of the issue size

(6) The Social Stock Exchange shall maintain the details of the allotment pursuant to issuance of Zero Coupon Zero Principal Instruments by a Not for Profit Organization.

(7) The Social Stock Exchange shall specify the additional norms in respect of issue procedure including on agreements with depositories, banks, etc., ASBA related matters, duration for public issuance, allocation methodology and any other ancillary matter related to issue procedure.

Deemed compliance with Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957.

292O The public issuance of Zero Coupon Zero Principal Instruments by a registered Not for Profit Organization in accordance with these regulations shall be deemed to be in compliance with rule 19 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957.

Termination of listing of Zero Coupon Zero Principal Instruments from the Social Stock Exchange.

292P The listing of Zero Coupon Zero Principal Instruments of a Not for Profit Organization on the Social Stock Exchange shall terminate in the following events:

(a) The object for which the funds were raised has been achieved and a certificate to this effect is submitted to the Social Stock Exchange; or

- (b) The tenure to achieve the object for which the funds were raised as provided in the fund raising document has expired.”

MADHABI PURI BUCH, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./194/2022-23]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.
2. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was subsequently amended on -
 - (a) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/57.
 - (b) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/05.
 - (c) April 5, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/08.
 - (d) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/29.
 - (e) September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/35.
 - (f) December 6, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/42.
 - (g) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/47.
 - (h) January 1, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/01.
 - (i) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (j) May 8, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/11.
 - (k) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/17.
 - (l) June 22, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/18.
 - (m) July 1, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/21.

- (n) September 28, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/31.
- (o) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/03.
- (p) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/18.
- (q) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- (r) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/45.
- (s) October 26, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/52.
- (t) January 14, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/63.
- (u) April 27, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/82.